

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव(छ.ग.)

॥ प्रपत्र-II ॥

ज्ञाप क्र./ 1409/अनु.-मान्य./2026
प्रति,

संशोधित
राजनांदगांव, दिनांक 08/05/2026


अध्यक्ष/ सचिव, श्री महावीर वेलफेयर सोसायटी,
विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009 के नियम 11 के उपनियम (4) के तहत विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

आपका आवेदन पत्र की तारीख ~~14/05/2026~~ के संदर्भ और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात् वर्ती पत्राचार विद्यालय के निरीक्षण के उपरांत मैं, कृष्णा पब्लिक स्कूल राजनांदगांव अं.मा. को कक्षा नर्सरी से आठवी तक संचालन हेतु दो वर्ष की अवधि के लिये जो दिनांक 01-04-2026 से 31-03-2028 तक प्रभावशील रहेगा, अनंतिम मान्यता प्रदान करने लिये संसूचना देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के पुरा किये जाने के अधीन है :-

- 1- मान्यता की स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा VII के पश्चात् की मान्यता/संबद्धता के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (परिशिष्ट-एक) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (परिशिष्ट-दो) के संबंधों का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय कक्षा एक में (या यथा स्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के 25% तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहिन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परंतु यह और भी कि, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों को अनुपालन किया जाएगा।
- 4- पैरा 3 में निर्दिष्ट बच्चों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जाएगा। ऐसे प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5- सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उनके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यक्षीन नहीं करेगा।
- 6- विद्यालय किसी बच्चों को उसकी आयु का सबुत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-
 - (I)- प्रवेश दिये गए किसी भी बच्चों को विद्यालय में उस की प्रारंभिक शिक्षा पुरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उस विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
 - (II)- कि सभी बच्चों को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यक्षीन नहीं किया जाएगा।
 - (III)- प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
 - (IV)- प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - (V)- अधिनियम के उपबंधों च के अनुसार निःशक्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।
 - (VI)- अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे,
 - (VII)- अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7- विद्यालय समूचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार है:-
 - (I)-विद्यालय परिसर का क्षेत्र फल कुल निर्मित का क्षेत्रफल,
 - (II)- खेल का मैदान का क्षेत्रफल,
 - (III)-कक्षाओं की संख्या,
 - (IV)-प्रधान पाठक सह कार्यालय सह भण्डार हेतु कक्ष,

- 9- विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षा नहीं चलाई जाएगी।
- 10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या स्थलों का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाएगा।
- 11- विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) की अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12- विद्यालय को किसी वैयक्तिक, वैयक्तिक समूह या संघ या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
- 13- विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- 14- आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड क्रमांक संख्यांक ----- है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा निर्देश/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाए।
- 16- सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
- 17- संलग्न परिशिष्ट तीन के अनुसार अन्य शर्त :-
- (I)- शिक्षा के अधिकार के तहत निःशुल्क प्रवेशित विद्यार्थियों को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, गणवेश एवं लेखन सामग्री उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छ.ग. द्वारा WP (PIL) 52/2017 में पारित निर्णय अनुसार निजी विद्यालयों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के तहत प्रवेशित विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, गणवेश एवं लेखन सामग्री के एवज में राशि का भुगतान नहीं किया जाए बल्कि उन्हें पाठ्यपुस्तक, गणवेश एवं लेखन सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए।
- (II)- विद्यालय में अध्ययनरत बालक/पालक के द्वारा अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार होगा, ऐसे बालकों द्वारा स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मांग किये जाने पर अधिनियम के अध्याय 02 के धारा 5 (1) के पालन में तत्काल स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करते हुए ऐसे विद्यार्थियों का समुचित दस्तावेज संधारित की जावेगी।
- (III)- अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ ही की जाती है। अतः विद्यालय में नियुक्त शिक्षक अनिवार्यतः न्यूनतम अर्हता रखता हो।
- (IV)- विद्यालय का संचालन मध्य सत्र में बंद नहीं किया जावेगा एवं इस कार्यालय के अनुमति के बिना विद्यालय बंद नहीं किया जा सकेगा।
- (V)- मान्यता नवीनीकरण का आवेदन मान्यता अवधि समाप्ति के दो माह पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, इसकी संपूर्ण जवाबदारी संचालक/संस्था प्रमुख की होगी।
- (VI)- आपकी संस्था को प्रदान की जा रही यह मान्यता पूर्णतः अस्थायी है, शाला संचालन के किसी भी स्तर पर यह प्रतीत होता है कि आपके संस्था द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शाला संचालन हेतु वर्णित नियम/निर्देश एवं विद्यालय संचालन के मान एवं मानकों (धारा 19 और 25) का उल्लंघन किया जा रहा है तो यह मान्यता स्वमेव निरस्त मानी जावेगी, जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे एवं अधिनियम में उल्लेखित शास्ति हेतु पात्र होंगे।
- (VII)- छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ-13-19-20-03-2012 रायपुर दिनांक 13-04-2012 एवं आदेश क्रमांक 2887/2016/20-3 रायपुर दिनांक 22/04/2016 अनुसार शिक्षा को व्यवसाय के रूप में नहीं, बल्कि समाज सेवा के लिये "न लाभ न हानि" के सिद्धांत पर शाला संचालन किया जाये।


जिला शिक्षा अधिकारी
राजनांदगांव